(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE) (EXTRA ORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY (TRANSPORT DEPARTMENT), 5/9 UNDER HILL ROAD, DELHI-110054

No. F. 10(118)/AS/STA/Tpt./2013/106

Dated: the 28 May, 2014

NOTIFICATION

No.F. 10(118)/AS/STA/Tpt./2013/

- In exercise of the powers conferred by sub section (2) of section 89 read with clause (41) of section 2 of The Motor Vehicles Act 1988, (59 of 1988), the Lieutnant Governor of the National Capital Territory of Delhi, is pleased to constitute a State Transport Appellate Tribunal for the National Capital Territory of Delhi, consisting of Shri V.K. Maheshwari, Presiding Officer, Delhi School Tribunal, Government of National Capital Territory of Delhi, with immediate effect.

By order and in the name of The Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

(Puneet K. Goel)
Secretary (Transport)

(दिल्ली राजपत्र भाग चार असाधारण में प्रकाशानार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (परिवहन विभाग) 5/9, अंडर हिल रोड़, नई दिल्ली

No. F. 10(118)/AS/STA/Tpt./2013/106

Dated: 28-05, 2014

अधिसूचना

सं. फा0 10(118)/एस/एसटीए/ परिवहन /2013/106 — मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 89 की उपधारा (2), धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मान्नीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, सहर्ष राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण का, श्री वी.के. महेश्वरी, पीठासीन अधिकारी, दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, सहित तत्काल प्रभाव से, सम्पूर्ण राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए गठन करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

> (पुनीत के. गोयल) सचिव (परिवहन)